न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /5859/2006/चितौड़गढ़

1– रामीबाई (मृतक)पत्नी चतरभुज जाति भील (नाम तर्क)
2– नारायणलाल पुत्र चतुरभुज जाति भील निवासीगण ऐराल तहसील व जिला चितौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1– अणछीबाई बेवा मोहनलाल जाति खटीक निवासी प्रेमनगर चितौड़गढ़ तहसील व जिला चितौड़गढ़।
2– राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 11–9–2024

हस्तगत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर चितौड़गढ़ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 17(क) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम एराल की आराजी खसरा नंबर 332, 338, 297 एवं 333 की कुल 94 बीघा भूमि 28–6–1959 को भूमि सहकारी समिति एराल के 10 सदस्यों को आवंटित की गई थी। समिति के 1960 में 8 सदस्य का अन्यत्र जाना जाहिर आने पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर आदेश

क्रमांक 1674 दिनांक 24–6–1962 को आवंटन निरस्त कर भूमि बिलानाम अंकित करने के आदेश दिये थे। निरीक्षक भू–अभिलेख के पर्चा मौका दिनांक 9–3–1966 से आराजी खसरा नंबर 333 पर श्री नारायण एवं रामा का कब्जा होना बताया था। उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा मु0 अणछी के नाम आराजी खसरा नंबर 834 रकबा 0.26, खसरा नंबर 835 रकबा 0.47 खसरा नंबर 536 रकबा 0.16, खसरा नंबर 837 रकबा 0.047, खसरा नंबर 838 रकबा 0.06 कुल रकबा 1.42 अपने आदेश दिनांक 13–6–1989 को नियमन किया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त नियमन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–11–2003 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर श्रीमती अणछी को किया गया नियमन निरस्त कर विवादित भूमि को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–11–2003 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चितौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–6–2006 द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–11–2003 निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–1989 यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2006 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कहना है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष यह तथ्य साबित हो चुका था कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सम्मन लेने से इनकार किये जाने पर ही जिला कलेक्टर ने उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लेते हुए निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनका कथन है कि धोखे से नियमन/आवंटन किये गये भूमि बाबत् खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के उपरांत भी उसे निरस्त किया जा सकता है। जिला कलेक्टर

ने प्रकरण के सभी बिन्दुओं पर अपना विस्तृत आदेश पारित किया था तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) में उठाये गये उजरातों से स्पष्ट था कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का सिर्फ 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा साक्ष्य से साबित हुआ था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्राम ऐराल की निवासी नहीं थी, उसके पास पूर्व से 10 बीघा से अधिक सिंचित भूमि खातेदारी में थी, जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आ रही थी। राजस्व अपील अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विशेष रूप से जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में यह मानकर आवंटन निरस्त किया है कि पटवारी एवं निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विरोधाभाषी है तथा कब्जे से अधिक भूमि नियमन करना गलत है। दिनांक 1–1–1971 से पहले के कब्जे ही अधिनियम में नियमन योग्य है। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा सन् 1971 के बाद का है। अपीलांट्स भूमिहीन होकर अपने कब्जे की भूमि को नियमन/आवंटन करवाने के अधिकारी होते हुए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–6–2006 को निरस्त किया जाकर जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 3–11–2003 को यथावत रखा जावे।

5– रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि रेस्पोडेंट ने विधिवत तौर पर तामिल कराये बिना कार्यवाही करने में भूल की है। रेस्पोडेंट का विवादित आराजीयात पर सन् 1975 से निरंतर कब्जा काश्त होने से नियमन किया गया है और इसकी नियमन राशि भी जमा कराई है। इस पर रेस्पोडेंट ने ट्यूबवैल लगा रखा है, जिस पर रेस्पोडेंट और उसके दोनों लड़के मिलकर काश्त कर रहे हैं। अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है और न ही वे खतेी ही करते हैं। इसलिए उन्हें यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। जिला कलेक्टर ने प्रार्थना–पत्र की जांच नहीं की है। रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति की महिला होकर उसका मुख्य धन्धा खेती करना है। नियमन को नियम, 1968 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त नहीं किया जा सकता है। नियमन के 10 वर्ष पश्चात् रेस्पोडेंट को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार भी मिल चुके हैं। इसलिए नियम 17–क के अन्तर्गत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है। जिला कलेक्टर ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगवाई है। उसमें भी कब्जा रेस्पोडेंट का माना है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा जिलाधीश, चित्तौडगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 17–क राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन/नियमन दिनांक 13–6–89 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट अणछी के पक्ष में जो नियमन किया गया है उसे निरस्त किया जावे, क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा उनका है एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः आवंटन खारिज किया जावे । जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–11–2003 से रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त कर प्रश्नगत भूमि बिला नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, चित्तौडगढ़ द्वारा मौके की रिपोर्ट दिनांक 17–10–2003 में यह अंकित किया कि''

''ग्राम पराल की आराजी नंबर 834, 835, 836, 837, 838 किता 5 रकबा 1.42 अप्रार्थिया श्रीमति अणछी पत्नि मोहनलाल खटीक निवासी प्रेमनगर चित्तौडगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है । आवंटी श्रीमति अणछीबाई पत्नि मोहनलाल निवासी प्रेमनगर चित्तौडगढ़ शहर की निवासी है । आवंटी सद्भावी कृषक है । प्रश्नगत भूमि को आवंटी ने काश्त कर आबाद कराया है । वर्तमान में भूमि पर आवंटी का कब्जा है ।''

उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एवं वह एक सद्भावी कृषक थी। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेण्ट को किए गए आवंटन को निरस्त कर दिया । इस संबंध में THE RAJASTHAN COLONISATION (MEDIUM AND MINOR IRRIGATION PROJECTS GOVERNMENT LANDS ALLOTMENT) RULES, 1968 के नियम 17–क अवलोकनीय है जो इस प्रकार है–

"17-A. Concellation of allotment.- The Collector of the district shall have the power to cancel any allotment made under these Rules, either suo motu or on the application of any person, in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation, or has been made against the rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order, to the prejudice of any person, shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

उक्त प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर द्वारा रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जबकि रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन पूर्णतया आवंटन नियमों

की शर्तो के अनुरूप था । पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो कि आवंटन नियम 1968 की धारा 17–क में उल्लेखित होकर आवंटन को निरस्त करने का आधार बनते हों । रेस्पोडेण्ट को उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 5–4–2003 से गैर खातेदारी से खातेदारी हक भी प्रदान किए गए थे एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है, जिसे इन नियमों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस संबधं में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है–

D.N.J. 2018 (2) Raj- page 726 - "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970-Rr.14(3) , 14(4) Board of Revenue set aside the order and restored the allotment-provision of conferring khatedari rights after 3 years -Allotment cannot be cancelled after conferring khatedari rights - presumption of conferring rights after 3 years -Allotment cancelled on account of not cultivation of the land-Held Board of Revenue has not committed any error in setting aside the order of cancelling allotment."

R.R.T. 2009 (1) page 453- "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4)- Allotment cancelled after conferment khatedari rights 24 years of allotment-Ground for cancellation was illegal possession of opposite party on the disputed land-No findings of Courts below that allotment was obtained by fraud or misrepresentation or there has been any breach of the conditions of allotment. "

R.B.J. 2021 (1) page 747- "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4)& 20 After conferment khatedari rights Allotment cannot be cancelled. "

R.B.J. 2020 (27) page 648 - "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4) -When land was allotted to the non applicant 34 years back and 22 years has expired when khatedari rights of land was given to the non applicant. After such a long time allotment of land made in favour of non-applicant cannot be cancelled. "

R.B.J. 2010 page 608 -"When after allotment of the land possession of land was given to the allottee. After this if somebody trespassed on the land that cannot become the ground for cancellation of the allotment of the land . "

R.B.J. 2020 page 157 - "When allotment of land made in favour of appellant was not obtained through fraud or misrepresentation of facts, same allotment cannot be cancelled on the basis of long possession of respondent who is a trespasser on the land ".

R.R.T. 2008 page 834 - "Once khatedari rights have occrued to the allottees of land they can only be withdrawn in accordance with the provisions of Rajasthan Tenancy Act- Allotment of land cannot be cancelled under rule 14(4). "

उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन विधिवत तथा पूर्णतया नियमों के अनुसार किया गया था तथा उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे । किन्तु जिला कलेक्टर द्वारा दस्तोवजी

साक्ष्यों की अनदेखी कर कर विधिवत आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि कारित की थी । जबकि इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन दिनांक 13–6–89 बहाल रखा है । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है और न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है । ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील निरस्त योग्य है ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 8–6–2006 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य